



महाराष्ट्र शासन राजपत्र

असाधारण भाग सात

वर्ष ६, अंक ६]

मंगळवार, मार्च ३, २०२०/फाल्गुन १३, शके १९४१

[पृष्ठे १५, किंमत : रुपये ४७.००

असाधारण क्रमांक १२

प्राधिकृत प्रकाशन

अध्यादेश, विधेयके व अधिनियम यांचा हिंदी अनुवाद (देवनागरी लिपी).

निम्न विधेयक महाराष्ट्र विधानसभा नियमों (सातवाँ संस्करण) के नियम ११६(१) के प्रथम परंतुक अधीन प्रकाशित किया जाता है :—

L. A. BILL No. XV OF 2020.

A BILL

TO AUTHORISE PAYMENT AND APPROPRIATION OF CERTAIN FURTHER SUMS FROM AND OUT OF THE CONSOLIDATED FUND OF THE STATE FOR THE SERVICES AND PURPOSES OF THE YEAR ENDING ON THE THIRTY-FIRST DAY OF MARCH 2020.

विधानसभा का विधेयक क्रमांक १५ सन् २०२०।

विधेयक जिसके द्वारा राज्य की संचित निधि तथा उसमें से मार्च २०२० के इक्तीसवें दिन को समाप्त होनेवाले वर्ष में सेवाओं के लिए कतिपय अधिकतर रकमों की अदायगी तथा विनियोग को अधिकृत करना है।

क्योंकि भारत के संविधान के अनुच्छेद २०४ के अनुसार, जो कि उसके अनुच्छेद २०५ के साथ पढ़ा जाता है, राज्य की संचित निधि तथा उसमें से मार्च २०२० के इक्तीसवें दिन को समाप्त होनेवाले वर्ष में सेवाओं के लिए अधिकतर रकमों के विनियोग के लिए यह आवश्यक है कि विनियोग अधिनियम पारित करने तथा उक्त रकमों की अदायगी को अधिकृत करने के प्रयोजनार्थ, उपबंध किया जाये; इसलिए, भारत के गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में, एतद्वारा, निम्न अधिनियम अधिनियमित किया जाता है :—

१. यह अधिनियम महाराष्ट्र (अनुपूरक) विनियोग अधिनियम, २०२० कहलाए ।

संक्षिप्त नाम।

राज्य की संचित निधि में से वित्तीय वर्ष २०१९-२०२० के लिये २ खरब ४७ अरब, २३ करोड़, ३९ लाख, ५७ हजार रुपये निकालना।

२. राज्य की संचित निधि तथा उसमें से ऐसी रकमें, जो इसके साथ सम्बद्ध अनुसूची के स्तंभ (४) में बताई हुई रकमों से अधिक नहीं होंगी और जो कुल मिलाकर दो खरब, सैंतालीस अरब, तेईस करोड़, उनचालिस लाख, सत्तावन हजार रुपयों की रकम के बराबर होंगी, अनुसूची के स्तम्भ (२) में विनिर्दिष्ट सेवाओं तथा प्रयोजनों के सम्बन्ध में, सन् २०२० के मार्च के इकतीसवें दिन को समाप्त होने वाले वर्ष में होनेवाले विभिन्न प्रभारों को पूरा करने के लिए अदा की तथा लगाई जायेगी।

विनियोग। ३. इस अधिनियम द्वारा राज्य की संचित निधि तथा उसमें से अदा करने तथा लगाने के लिये प्राधिकृत की गई रकमों का सन् २०२० के मार्च के इकतीसवें दिन को समाप्त होनेवाले वर्ष के सम्बन्ध में, अनुसूची में बताए हुए सेवाओं तथा प्रयोजनों के लिये विनियोग किया जायेगा।

अनुसूची

(धाराएँ २ तथा ३ देखिये)

अनुदान या अन्य विनियोजन का क्रमांक		कार्य तथा उद्देश्य	लेखा शीर्षक	रकमें जो निम्न से अधिक नहीं होंगी विनियोजन			
(१)	(२)	(३)		विधानसभा द्वारा स्वीकृत	समेकित निधि पर प्रभारित (४)	कुल	
क—राजस्व लेखे पर व्यय सामान्य प्रशासन विभाग							
ए-४	सचिवालय और विविध सामान्य सेवाएँ।	{ २०५२, सचिवालय-सामान्य सेवाएँ। २०५९, लोकनिर्माण कार्य। २०७०, अन्य प्रशासनिक सेवाएँ। २०७५, विविध सामान्य सेवाएँ। ३०५४, जनगणना, सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी।	..	१,०००	...	१,०००	
ए-८	जनगणना, सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी।		..	२६,५३,४६,०००	...	२६,५३,४६,०००	
कुल—सामान्य प्रशासन विभाग			..	२६,५३,४७,०००	...	२६,५३,४७,०००	
गृह विभाग							
बी-१	पुलिस प्रशासन।	{ २०१४, न्याय प्रशासन। २०५५, पुलिस। २०७०, अन्य प्रशासनिक सेवाएँ। २०४१, वाहनों पर कर। ३०५५, सड़क परिवहन। ३०५६, अंतर्देशिय जल परिवहन।	..	१,९५,५९,०३,०००	...	१,९५,५९,०३,०००	
बी-३	परिवहन प्रशासन।		..	२,७७,००,०१,०००	...	२,७७,००,०१,०००	
कुल—गृह विभाग।			..	४,७२,५९,०४,०००	...	४,७२,५९,०४,०००	

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
			रुपये	रुपये
राजस्व तथा वन विभाग				
सी-५	अन्य सामाजिक सेवाएँ ।	२२१७, नगरविकास । २२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण । २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण । २२५०, अन्य सामाजिक सेवाएँ ।	१६,२४,६०,०००	१६,२४,६०,०००
सी-६	प्राकृतिक आपदाओं के संबंध में राहत ।	२२४५, प्राकृतिक आपदाओं के संबंध में राहत ।	३५,१७,७२,००,०००	३५,१७,७२,००,०००
सी-७	वन ।	२४०६, वन तथा वन्य जीवन । २४१५, कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा । २५५१, पहाड़ी क्षेत्र ।	५,०००	५,०००
		कुल-राजस्व तथा वन विभाग ।	३५,३३,९६,६५,०००	३५,३३,९६,६५,०००
कृषि, पशुपालन, दुग्ध उद्योग विकास तथा मत्स्य उद्योग विभाग				
डी-३	कृषि सेवाएँ ।	२४०१, कृषि कर्म । २४०२, मृदा तथा जल संरक्षण । २४०६, वन तथा वन्य जीवन । २४१५, कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा ।	५,०००	५,०००
डी-४	पशुपालन ।	२४०३, पशुपालन ।	६,०००	६,०००
डी-६	मत्स्य उद्योग ।	२४०५, मत्स्य उद्योग ।	३०,४५,३१,०००	३०,४५,३१,०००
		कुल-कृषि, पशुपालन, दुग्ध उद्योग विकास तथा मत्स्य उद्योग विभाग ।	३०,४५,४२,०००	३०,४५,४२,०००

विद्यालय शिक्षा तथा क्रीडा विभाग

इ-२	सामान्य शिक्षा ।	२२०२, सामान्य शिक्षा ।	५,०००	५,०००
इ-३	सचिवालय तथा अन्य सामाजिक सेवाएँ ।	२२०४, क्रीडा तथा युवा सेवाएँ ।		
		२२०५, कला तथा संस्कृति,		
		२२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण ।	३,०००	३,०००
		२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण ।		
		२२५१, सचिवालय-सामाजिक सेवाएँ ।		
		२४०६, वन तथा वन्य जीवन		
		कुल-विद्यालय शिक्षा तथा क्रीडा विभाग	८,०००	८,०००

नगरविकास विभाग

एफ-२	नगरविकास तथा अन्य अग्रिम सेवाएँ ।	२०५३, जिला प्रशासन ।		
		२०७०, अन्य प्रशासनिक सेवाएँ ।		
		२२१७, नगरविकास ।	२,०००	२,०००
		३०५४, सड़क तथा पुल ।		
		कुल-नगरविकास विभाग	२,०००	२,०००

लोकनिर्माण कार्य विभाग

एच-३	आवास ।	२२१६, आवास ।		
एच-५	सड़क तथा पुल ।	३०५४, सड़क तथा पुल ।		
एच-६	लोक निर्माण कार्य तथा प्रशासनिक और कार्यविषयक भवनों पर पूंजीगत परिव्यय ।	२०५९, लोक निर्माण कार्य ।		
		२२०२, सामान्य शिक्षा ।		
		२२०३, तकनीकी शिक्षा ।		
		२२०५, कला तथा संस्कृति ।		
		२२१०, चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य ।		
		२२१७, नगर विकास ।		
		२२३०, श्रम तथा नियोजन ।		
		२४०३, पशुपालन ।		
		२४०५, मत्स्योद्योग ।		
		कुल-लोकनिर्माण कार्य विभाग	३,१७,५९,१६,०००	३,१७,५९,१६,०००

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)	(४)	
			रुपये	रुपये
विधि व न्याय विभाग				
जे-१	न्याय प्रशासन।	२०१४, न्याय प्रशासन।	२,०००	२,०००
		कुल—विधि व न्याय विभाग	२,०००	२,०००
उद्योग, ऊर्जा तथा श्रम विभाग				
के-६	ऊर्जा।	{ २८०१, विद्युत। २८१०, नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा।	१४,६७,१८,१९,०००	१४,६७,१८,१९,०००
के-७	उद्योग।	{ २८५१, ग्रामद्योग तथा लघुउद्योग। २८५२, उद्योग। २८५३, अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग।	३,०००	३,०००
		कुल—उद्योग, ऊर्जा तथा श्रम विभाग	१४,६७,१८,२२,०००	१४,६७,१८,२२,०००
ग्रामविकास विभाग				
एल-२	जिला प्रशासन।	२०५३, जिला प्रशासन। { २०५९, लोकनिर्माण कार्य। २२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण। २४०६, वन तथा वन्य जीवन। २४१५, कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा। २५०१, ग्रामविकास के लिए विशेष कार्यक्रम। २५०५, ग्राम नियोजन। २५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम। २८१०, नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा। ३०५४, सड़क तथा पुल। ३४५१, सचिवालय-आर्थिक सेवाएँ।	२,६५,१६,७४,०००	२,६५,१६,७४,०००
एल-३	ग्रामविकास कार्यक्रम।		९,०००	९,०००
एल-४	सचिवालय-आर्थिक सेवाएँ।		१,०००	१,०००
		कुल—ग्रामविकास विभाग	२,६५,१६,८४,०००	२,६५,१६,८४,०००

खाद्य, सिविल आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग

एम-२	खाद्य, भांडारकरण तथा गोदाम ।	..	३,४९,७८,०३,०००	..	३,४९,७८,०३,०००
एम-३	सचिवालय तथा अन्य आर्थिक सेवाएँ ।	{	{	..	१,९९,८०,०००
	३४५१, सचिवालय-आर्थिक सेवाएँ ।				
	३४७५, अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएँ ।				१,९९,८०,०००
	कुल—खाद्य, सिविल आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग..		३,५१,६९,८३,०००	..	३,५१,६९,८३,०००

सामाजिक न्याय तथा विशेष सहायता विभाग

एन-३	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण ।	..	९,०००	..	९,०००
	२२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण ।				
	२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण ।				
	२४०६, वन तथा वन्य जीवन ।				
	२८०९, विद्युत ।				
	कुल—सामाजिक न्याय तथा विशेष सहायता विभाग	..	९,०००	..	९,०००

लोकस्वास्थ्य विभाग

आर-१	चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य ।	{	{	..	५,०००
	२२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य ।			..	
	२२११, परिवार कल्याण ।			..	
	२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण ।			..	
	कुल—लोकस्वास्थ्य विभाग	..	५,०००	..	५,०००

चिकित्सा शिक्षा तथा औषधि विभाग

एस-१	चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य ।	..	२,०००	..	२,०००
	कुल—चिकित्सा शिक्षा तथा औषधि विभाग	..	२,०००	..	२,०००

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)	(४)	
		जनजाति विकास विभाग		
		२०५९, लोकनिर्माण कार्य।		
		२२०२, सामान्य शिक्षा।		
		२२०४, क्रीडा तथा युवा सेवाएँ।		
		२२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य।		
		२२११, परिवार कल्याण।		
		२२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता।		
		२२१७, नगर विकास।		
		२२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण।		
		२२३०, श्रम तथा नियोजन।		
		२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।		
		२२३६, पोषण।		
		२४०१, कृषि कर्म।		
		२४०२, मृदा तथा जल संरक्षण।		
		२४०३, पशुपालन।		
		२४०५, मत्स्योद्योग।		
		२४०६, वन तथा वन्यजीवन।		
		२४२५, सहकारिता।		
		२४३५, अन्य कृषि कार्यक्रम।		
		२५०१, ग्रामविकास के लिए विशेष कार्यक्रम।		
		२५०५, ग्राम नियोजन।		
		२७०२, लघु सिंचाई।		
		२८०१, विद्युत।		
		२८१०, नवीन तथा नवीकरणीय, ऊर्जा।		
		२८५१, ग्रामोद्योग तथा लघुउद्योग।		
		२८५२, उद्योग।		
		३०५४, सड़क तथा पुल।		
		३०५५, सड़क परिवहन।		
टी-५	जनजाति क्षेत्र विकास उप-योजना पर राजस्व व्यय।		२८,०००	२८,०००
			..	..
			२८,०००	२८,०००
		कुल—जनजाति विकास विभाग।	..	२८,०००

सहकारिता, विपणन तथा वस्त्रोद्योग विभाग

- २०७०, अन्य प्रशासनिक सेवाएँ।
 २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।
 २४०६, वन तथा वन्य जीवन।
 २४२५, सहकारिता।
 २४३५, अन्य कृषि कार्यक्रम।
 २८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग।
 २८५२, उद्योग।
 ३४५१, सचिवालय-आर्थिक सेवाएँ।
 ३४५६, सिविल आपूर्ति।

वी-२ सहकारिता।

..	१,५०,००,००,०६,०००	..	१,५०,००,००,०६,०००
..	१,५०,००,००,०६,०००	..	१,५०,००,००,०६,०००

कुल—सहकारिता, विपणन तथा वस्त्रोद्योग विभाग।

उच्चतर तथा तकनीकी शिक्षा विभाग

- डब्ल्यू-२ सामान्य शिक्षा।
 डब्ल्यू-३ तकनीकी शिक्षा।
 डब्ल्यू-४ कला तथा संस्कृति।

..	१०,०००	..	१०,०००
..	१,०००	..	१,०००
..	२,०००	..	२,०००
..	१३,०००	..	१३,०००

कुल—उच्चतर तथा तकनीकी शिक्षा विभाग।

महिला तथा बाल विकास विभाग

- २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।
 २२३६, पोषण।
 २४०६, वन तथा वन्य जीवन।
 २२५१, सचिवालय-सामाजिक सेवाएँ।

एक्स-१ सामाजिक सुरक्षा तथा पोषण।

..	२,८०,००,६०,०००	..	२,८०,००,६०,०००
..	१,०००	..	१,०००

एक्स-२ सचिवालय-सामाजिक सेवाएँ।

कुल—महिला तथा बाल विकास विभाग।

..	२,८०,००,६१,०००	..	२,८०,००,६१,०००
----	----------------	----	----------------

जल आपूर्ति तथा स्वच्छता विभाग

वाय-२ जल आपूर्ति तथा स्वच्छता।

..	१,०००	..	१,०००
..	१,०००	..	१,०००

कुल—जल आपूर्ति तथा स्वच्छता विभाग।

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
			रुपये	रुपये
कुशलता विकास तथा उद्यम विभाग				
जेड-क-२ सचिवालय तथा अन्य सामाजिक सेवाएँ।	२२०३, तकनीकी शिक्षा। २२३०, श्रम तथा नियोजन। २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण। २२५१, सचिवालय-सामाजिक सेवाएँ। २४०६, वन तथा वन्य जीवन	..	२,०००	६२,९२,०००
	कुल—कुशलता विकास तथा उद्यम विभाग।	..	२,०००	६२,९२,०००
पर्यटन तथा सांस्कृतिक कार्य विभाग				
जेड-घ-२ कला तथा संस्कृति।	२२०५, कला तथा संस्कृति।	..	१,०००	१,०००
जेड-घ-४ सचिवालय और अन्य सामाजिक सेवाएँ।	२४०६, वन तथा वन्य जीवन। ३४५२, पर्यटन।	..	८१,२१,६५,०००	८१,२१,६५,०००
	कुल—पर्यटन तथा सांस्कृतिक कार्य विभाग।	..	८१,२१,६६,०००	८१,२१,६६,०००
अन्य पिछड़े वर्गों, सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़े वर्गों विमुक्त जाति, खानाबदोष जनजाति, और विशेष पिछड़े वर्गों का कल्याण विभाग				
जेड-छ-२ सचिवालय और अन्य सामाजिक सेवाएँ।	२२५१, सचिवालय-सामाजिक सेवाएँ। २४०६, वन तथा वन्य जीवन।	..	१,०००	१,०००
जेड-छ-३ विमुक्त जाति, खानाबदोष जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों और विशेष पिछड़े वर्गों का कल्याण विभाग।	२२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण। २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।	..	२,४९,८५,०००	२,४९,८५,०००
	कुल —अन्य पिछड़े वर्गों, सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़े वर्गों विमुक्त जाति, खानाबदोष जनजाति, और विशेष पिछड़े वर्गों का कल्याण विभाग।	..	२,४९,८६,०००	२,४९,८६,०००

मृदा तथा जल संरक्षण विभाग

जेड-एच-३ सिंचाई, विद्युत और अन्य आर्थिक सेवाएँ।	{ २४०२, मृदा तथा जल संरक्षण। २४०६, वन तथा वन्य जीवन। २७०७, लघु सिंचाई। }	..	१,०००	..	१,०००
कुल—मृदा तथा जल संरक्षण विभाग।					
कुल—क-राजस्व लेखे पर व्यय।					
			२,१८,२८,९१,५८,०००	६२,९०,०००	२,१८,२९,५४,४८,०००

ख-पूँजीगत लेखे पर व्यय

गृह विभाग

बी-१० आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।	{ ४०५५, पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय। ४०७०, अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय। ५००२, भारतीय रेल पर पूंजीगत परिव्यय वाणिज्यिक लाईन। ५०५५, सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय। }	..	१,०००	..	१,०००
	कुल गृह विभाग।	..	१,०००	..	१,०००

राजस्व तथा वन विभाग

सी-९ अन्य प्रशासकीय सेवाओं और सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।	{ ४२३५, सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय। ४२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय। ६२४५, प्राकृतिक अपदाओं के लेखे पर राहत के लिए ऋण। }	..	..	..
		..	३,४१,५८,०००	३,४१,५८,०००
		..	..	..
		..	३,४१,५८,०००	३,४१,५८,०००
कुल—राजस्व तथा वन विभाग।		..	३,४१,५८,०००	३,४१,५८,०००

कृषि, पशुपालन, दुग्ध उद्योग विभाग और मत्स्योद्योग विभाग

डी-९	मत्स्योद्योग पर पूंजीगत परिव्यय ।	{ ४४०५, मत्स्योद्योग पर पूंजीगत परिव्यय । ६४०५, मत्स्योद्योग के लिये कर्ज ।	..	५८,००,००,०००	..	५८,००,००,०००
		कुल—कृषि, पशुपालन, दुग्ध उद्योग विभाग और मत्स्योद्योग विभाग ।	..	५८,००,००,०००	..	५८,००,००,०००

नगर विकास विभाग

एफ-५	सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।	{	४२१७, नगरविकास पर पूंजीगत परिव्यय।	..	३,०४,०१,००,०००	..	३,०४,०१,००,०००
			५४७५, अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।				
एफ-७	नगर विकास के लिये कर्ज।		६२१७, नगर विकास के लिये कर्ज।		३,७५,००,००,०००		३,७५,००,००,०००
			कुल—नगर विकास विभाग।	..	६,७९,०१,००,०००	..	६,७९,०१,००,०००

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)	(४)	
			रुपये	रुपये
एच-७	सामाजिक सेवाओं तथा अन्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।	लोक निर्माण कार्य विभाग ४२१६, आवास पर पूंजीगत परिव्यय। ४७११, बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय। ५०५४, सड़क तथा पुल पर पूंजीगत परिव्यय। ४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय। ४२०२, शिक्षा, क्रीड़ा, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय। ४२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय। ४२१७, नगर विकास पर पूंजीगत परिव्यय। ४२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय। ४२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय। ४२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०५, मत्स्यउद्योग पर पूंजीगत परिव्यय। ४२०२, शिक्षा, क्रीड़ा, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय। ४२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय। ४२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।	..	१६,५२,००,०९,०००
			..	१६,५२,००,०९,०००
			..	१६,५२,००,०९,०००
			..	१६,५२,००,०९,०००
			..	१६,५२,००,०९,०००
एच-८	लोकनिर्माण कार्य तथा प्रशासनिक तथा कार्यविषयक भवनों पर पूंजीगत परिव्यय।		२३,०००	२३,०००
			..	..
एच-९	प्रादेशिक असंतुलन दूर करने पर पूंजीगत परिव्यय।		२,०००	२,०००
			..	..
कुल—लोकनिर्माण कार्य विभाग।			१६,५२,००,२६,०००	१६,५२,००,२६,०००

जलस्रोत विभाग

आय-५	सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय।	{	४४०२, मुदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय।	..	४८,२५,३८,०००	..	४८,२५,३८,०००
			४७०१, बड़ी तथा मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय।				
			४७०२, लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय।				
			४७११, बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय।				
			४८०१, विद्युत परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय।				
			कुल—जलस्रोत विभाग।	..	४८,२५,३८,०००	..	४८,२५,३८,०००

उद्योग, ऊर्जा तथा श्रम विभाग

के-९	आर्थिक तथा सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।	{ ४०५८, लेखन सामग्री तथा मुद्रण पर पूंजीगत परिव्यय। ४८५१, ग्राम तथा लघुउद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय। ६२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज। }	१,०००	१,०००
			..	..
के-११	ऊर्जा पर पूंजीगत परिव्यय।	{ ४८०१, विद्युत परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय। ६८०१, विद्युत परियोजनाओं के लिए कर्ज। }	१०,६८,९५,०००	१०,६८,९५,०००
			..	..
कुल—उद्योग, ऊर्जा तथा श्रम विभाग।			१०,६८,९६,०००	१०,६८,९६,०००

खाद्य, सिविल आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग

एस-४	खाद्य, भंडारकरण तथा गोदाम पर पूंजीगत परिव्यय।	४४०८, खाद्य, भंडारकरण तथा गोदाम पर पूंजीगत परिव्यय।	१,०००	१,०००
			..	..
		कुल—खाद्य, सिविल आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग।	१,०००	१,०००

सामाजिक न्याय तथा विशेष सहायता विभाग

एन-४	सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत व्यय।	४२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय।	४२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय।	६२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिये कर्ज।	कुल—सामाजिक न्याय तथा विशेष सहायता विभाग।
		१,०००	१,०००	१,०००	१,०००

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)	(४)	रुपये	रुपये
वाय-६	आर्थिक और सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।	जल आपूर्ति तथा स्वच्छता विभाग { ४२१५, जल आपूर्ति और स्वच्छता पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०२, मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय। ६२१५, जल आपूर्ति और स्वच्छता के लिये कर्ज। }		४,४२,४७,८८,०००	४,४२,४७,८८,०००
		कुल-जल आपूर्ति तथा स्वच्छता विभाग।		४,४२,४७,८८,०००	४,४२,४७,८८,०००
		कुल-ख-पूँजी लेखे पर व्यय।		२८,९०,४३,५९,०००	२८,९३,८५,०९,०००
		कुलयोग।		२,४७,१९,३५,०९,०००	२,४७,२३,३९,५७,०००

उद्देश्यों तथा कारणों का वक्तव्य।

प्रस्तुत विधेयक भारत के संविधान के अनुच्छेद २०५ के साथ पठित अनुच्छेद २०४ के अनुसरण में राज्य की समेकित निधि में से २०१९-२० वर्ष के लिए, कतिपय सेवाओं तथा प्रयोजनों पर अनुपूरक व्यय को पूरा करने के लिए अपेक्षित धन के विनियोग का उपबंध करने के लिए पुरःस्थापित किया जाता है।

रकमें नीचे दर्शायी गई है :—

रुपये		
(क)	राजस्व व्यय	२,१८,२९,५४,४८,०००
(ख)	पूंजीगत व्यय	२८,९३,८५,०९,०००
कुल		२,४७,२३,३९,५७,०००

मुंबई,
दिनांकित ३ मार्च, २०२०।

अजित पवार,
वित्त मंत्री।

(यथार्थ अनुवाद),

नं. मा. राऊत,
भाषा संचालक,
महाराष्ट्र राज्य।